

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की भवन एवं कार्य समिति (Building and Works Committee) की दिनांक 24 मई, 2019 को अपराह्न 02.00 बजे स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न सप्तम बैठक का कार्यवृत्तः—

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1.	प्रो० श्री निवास सिंह, कुलपति	: अध्यक्ष
2.	प्रो० एस० के० श्रीवास्तव अधिष्ठाता, नियोजन, स्रोत जनन एवं पुरातन छात्र सम्बन्ध	: सदस्य
3.	श्री एस० पी० सक्सेना, मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, गोरखपुर	: सदस्य
4.	श्री राजीव गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, आई० डब्ल० डी०, आई० आई० टी०, कानपुर	: सदस्य
5.	श्री अनुपम अग्रवाल आर्किटेक्ट, गोरखपुर	: सदस्य
6.	डॉ० जीउत सिंह कुलसचिव	: सदस्य
7.	श्री अमर सिंह, वित्त नियन्त्रक	: सदस्य
8.	प्रो० गोविन्द पाण्डेय विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग	: सदस्य—सचिव

प्रो० एन० के० सक्सेना, के० एन० आई० टी०, सुल्तानपुर बैठक में अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवृत्त

मद सं० 7.00 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 04.12.2018 को सम्पन्न षष्ठम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

भवन एवं कार्य समिति के अवलोकनार्थ दिनांक 04.12.2018 को सम्पन्न षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया था, कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

२५/६/२०१९

मद संख्या 7.01 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न भवन एवं कार्य समिति की षष्ठम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कियान्वयन की अनुपालन आख्या ।

समिति द्वारा भवन एवं कार्य समिति की षष्ठम बैठक में लिये गये निर्णयों के कियान्वयन संबंधी विवरण से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए पुष्टि की गयी ।

मद संख्या 7.02 उत्तर प्रदेश राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति की सूचना ।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु राज्य सरकार के योजना बजट में विश्वविद्यालय हेतु प्रावधानित धनराशि से स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

भवन एवं कार्य समिति विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया ।

मद संख्या 7.03 भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टेक्निप-III) के अन्तर्गत कार्यों के कार्य प्रस्ताव का अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टेक्निप-III) के अन्तर्गत स्वीकृत अवस्थापना सुविधाओं संबंधी निम्नलिखित चार परियोजनाओं के कार्य “सामान्य निर्वाचन 2019 आदर्श आचार संहिता” की समाप्ति के उपरान्त ई-टेप्डर के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्ताव एवं विवरण प्रस्तुत किया गया :

क्र०सं०	कार्य का विवरण	लागत
1.	Stengthening & Renovation of internal wiring of Academic Buildings.	Rs. 20.00 Lacs
2.	Construction of Sheet Roofed Convenience Space for existing Seminar Hall of ITRC (Arya Bhatt Hall) and Faculty Cabins	Rs. 23.00 Lacs
3.	Refurbishment of Toilets of Computer Sc. & Engg. Deptt.	Rs. 12.00 Lacs
4.	Repairing & painting of Academic Buildings	Rs. 20.00 Lacs

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अमृता मिश्र

मद संख्या 7.04 भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अन्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति की सूचना।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त अनुदान से स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 7.05 ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ए० के० टी० य०) से प्राप्त अनुदान की योजनान्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के प्रगति की सूचना।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ए० के० टी० य०) की “दीन दयाल उपाध्याय योजना” के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 7.06 विश्वविद्यालय स्रोतों से स्वीकृत/चल रहे कार्यों के प्रगति की सूचना।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण /रख-रखाव हेतु विश्वविद्यालय स्रोतों/बचतों से स्वीकृत विभिन्न कार्यों के अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति विभिन्न कार्यों के अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं कार्यदायी संस्था से अपेक्षा की गयी कि कार्यों में गति लाएं एवं कार्यों को तीन माह में पूर्ण कर लिया जाए।

मद संख्या 7.07 प्रशासनिक भवन निर्माण के डी० पी० आर० का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन की अति आवश्यकता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज (स्थापना वर्ष 1962) हेतु लगभग 50 वर्ष पूर्व निर्मित भवन से किसी प्रकार किया जा रहा है। भवन में स्थान की कमी है एवं अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गया है। इस कारण विश्वविद्यालय की गरिमा एवं आवश्यकता के अनुकूल तीन मंजिला, भूकम्परोधी एवं पूर्णतया वातानुकूलित प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु रु० 1495.20 लाख का प्रस्ताव / आगानन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति सम्बन्धी संकल्प व्यक्त करते हुए उ० प्र० आवास विकास परिषद, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण सम्बन्धी डी० पी० आर० का विवरण कार्यदायी संस्था द्वारा बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डी० पी० आर० पर निम्नलिखित सुझावों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. भवन में ए० सी० का इस प्रकार प्रावधान किया जाए कि कन्डेन्सेशन न हो।
2. प्रत्येक कक्षों में कन्ट्रोलयुक्त एयरकंडीशनिंग सुविधा का प्रावधान किया जाए।
3. बाहरी दीवारों पर स्टोन के स्थान पर यथासम्भव नवीनतम ब्राण्डेड टाइल्स का प्रयोग किया जाए एवं चार ब्राण्डेड टाइल्स को निर्माण हेतु सूचीबद्ध कर आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जाए।
4. छतों पर Thermal Tile Insulation का यथासम्भव प्रावधान किया जाए।
5. बैंसमेट पार्किंग में स्प्रिंकलर फायर फाईटिंग प्रणाली का प्रावधान किया जाए।

२०१६/४३

मद संख्या 7.08 210 क्षमता महिला छात्रावास के निर्माण के डी० पी० आर० का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप प्रथम चरण में 210 शैय्या वाले महिला छात्रावास (अनुमानित लागत: रु० 1072.19 लाख) के निर्माण का प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 210 क्षमता के महिला छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृति सम्बन्धी संकल्प व्यक्त करते हुए उ० प्र० आवास विकास परिषद, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धी डी० पी० आर० का विवरण कार्यदायी संस्था द्वारा बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डी० पी० आर० पर निम्नांकित सुझावों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. वेन्टिलेशन को ध्यान में रखते हुए स्टैगर्ड कारीडोर का प्रावधान किया जाए।
2. कामनरूप को पीछे किया जाए।
3. टॉयलेट ब्लाक को कमरे से पृथक किया जाए एवं उसके साथ कवर्ड ब्लाथ वाशिंग एवं ड्राइंग स्पेस निर्मित किया जाए।
4. टॉयलेट ब्लॉक में प्रति 7 छात्रा एक वाटर क्लोजेट का प्रावधान किया जाए, जिसमें न्यून्तम एक वाटर क्लोजेट पाश्चात्य शैली का हो। साथ ही, भूतल पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक के साथ दिव्यांग जन हेतु एक अतिरिक्त वाटर क्लोजेट /शौचालय का निर्माण भी किया जाए और सामाजिक न्याय विभाग की बुकलेट के अनुसार सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं।
5. प्रत्येक तल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य परियोजना में सम्मिलित किये जाएं।

मद संख्या 7.09 30 अदद टाईप -III आवास निर्माण के डी० पी० आर० का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। विश्वविद्यालय में लगभग प्रत्येक श्रेणी के आवास की उपलब्धता, उनकी अर्हता रखने वाले कर्मियों के सापेक्ष कम है। वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत तृतीय श्रेणी आवास की अर्हता वाले नियमित तृतीय श्रेणी (३० जी० पी०: रु० 2800-4800/-) के 95 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 47 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के कुल 38 आवासों की है, जबकि वर्तमान में 38 अतिथि शिक्षक भी हैं। इस प्रकार कुल आवश्यकता 133 आवासों की है, जबकि वर्तमान में तृतीय श्रेणी के कुल 32 आवास हैं। इस प्रकार 101 (133-32) आवासों की कमी है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में 60 अदद तृतीय श्रेणी के आवासों के निर्माण हेतु रु० 1653.90 लाख का प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 30 अदद टाईप - III आवासों के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधी संकल्प व्यक्त करते हुए शासनादेश दिनांक: 18.02.2019 द्वारा उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि�० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त 30 अदद टाईप - III आवासों के निर्माण सम्बन्धी डी० पी० आर० का विवरण कार्यदायी संस्था द्वारा बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डी० पी० आर० पर निम्नांकित सुझावों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. किचेन की साइज यथासम्भव बढ़ाते हुए रीमाडल किया जाए।
2. कम से कम एक यूटिलिटी बालकनी का प्रावधान किया जाए।
3. ड्राइंगरूप से अटेच्ड टॉयलेट को बेडरूम से भी कनेक्ट किया जाए एवं दूसरे टॉयलेट को कामन टॉयलेट बनाया जाय एवं एक टॉयलेट में भारतीय शैली एवं दूसरे में पाश्चात्य शैली के कमोड का प्रावधान किया जाए।
4. स्टिल्ट को हटा कर भवन को तीन मंजिला (जी०+२) बनाया जाय एवं खुली पार्किंग का क्षेत्र विकसित किया जाए।

राम शंकर ठाकुर

मद संख्या 7.10 240 क्षमता के पुरुष छात्रावास के निर्माण कार्य के डी० पी० आर० का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय का गठन एक पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। पुरुष छात्रों के आवासन हेतु कुल सात अद्द छात्रावास उपलब्ध हैं जिनमें 1718 शैश्याएं उपलब्ध हैं, जबकि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2018-19 में अध्ययनरत पुरुष छात्रों की संख्या 2474 है। इस प्रकार, वर्तमान में 756 (2474-1718) शैश्याओं की कमी है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से इस वर्ष पुरुष छात्र संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है, भविष्य में भी इस प्रकार की वृद्धि की संभावना है। सामान्यतः एक छात्रावास के निर्माण में लगभग तीन वर्ष का समय लग जाता है। यदि समान वृद्धि दर भविष्य में भी बनी रहती है, जिसकी पूरी सम्भावना है, तब तीन वर्ष पश्चात् अध्ययनरत पुरुष छात्रों की संख्या 3861 होगी। इस प्रकार वर्तमान में पुरुष छात्रों के आवासन नें शैश्याओं की जो कमी 756 है, वह बढ़कर 2143 हो जायेगी, जिसके सापेक्ष आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के हर सम्बन्ध प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी एक कड़ी में राज्य योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि से 480 शैश्याएं वाले ₹० 2216.83 लाख की लागत से एक अद्द पुरुष छात्रावास का निर्माण प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु, शासन द्वारा उच्चस्तरीय बैठक में प्रथम चरण में 240 क्षमता के पुरुष छात्रावास के निर्माण का संकल्प व्यक्त करते हुए ₹० 1244.81 लाख की प्रारम्भिक लागत वाले छात्रावास निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक: 18.02.2019 द्वारा उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि�० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा समिति के समक्ष उक्त कार्य के डी० पी० आर० के विवरण का प्रस्तुतिकरण किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डी० पी० आर० पर इस सुझाव सहित अनुमोदन प्रदान किया गया कि प्लानिंग को इस आशय से रिविजिट किया जाए कि कमरों में पर्याप्त वेन्टिलेशन मिल सके।

मद संख्या 7.11 प्रयुक्त विज्ञान विभाग विस्तार के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के प्रयुक्त विज्ञान विभाग में दो नये पाठ्यक्रम – एम० एस-सी० (फिजिक्स) एवं एम० एस- सी० (मैथमेटिक्स) प्रारम्भ होने तथा बी० टेक० की छात्र संख्या में हुई वृद्धि के फलस्वरूप प्रयोगशालाओं एवं शिक्षक कक्षों में अत्यन्त कमी हो गयी है। वर्तमान प्रयुक्त विज्ञान विभाग भवन के प्रथम तल पर भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य हेतु ₹० 156.27 लाख का प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था परन्तु शासन द्वारा उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस प्रकार के कम धनराशि के लधु कार्यों को विश्वविद्यालय के स्रोतों/बचतों से कराये जाने के सुझाव दिये गये। अतः इस हेतु ₹० 98.93 लाख का प्रारम्भिक आगणन तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में वर्तमान कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं में से तुलनात्मक दृष्टि से गुणवत्ता, समयबद्धता व एम० बी० इत्यादि प्रस्तुत कर लेखा समायोजन की स्थिति के आधार पर प्रश्नगत कार्य राज्य सरकार की कार्यदायी संस्था य० पी० आर० एन० एस० से कराया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत डी० पी० आर० तैयार कर विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त करने के उपरांत सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाने, तत्पश्चात् अनुबन्ध कर राज्य सरकार के अद्यतन नियमों/शासनादेशों के अनुरूप समर्त औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण कर समयान्तर्गत कार्य सम्पादित कराये जाने एवं समायोजन/भुगतान संयुक्त मापी के आधार पर किये जाने तथा इस प्रकार सम्पूर्ण भुगतान के लेखा समायोजन के पश्चात् विधिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त आगणन/प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अगवर्धन

मद संख्या 7.12 आई० टी० सी० ए० विभाग के भवन के विस्तार/निर्माण के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक नये विभाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संगणक अनुप्रयोग (I. T. C. A.) विभाग की स्थापना कर दी गयी है, जिसे पूर्व से निर्मित कम्प्यूटर साइन्स एवं इन्जी० विभाग के एक भाग (पूर्वी) में स्थित दो मंजिला भवन में संचालित किया जा रहा है। उक्त भवन से सटे मात्र 104.77 वर्ग मीटर की भूमि उपलब्ध है जिसमें दो मंजिला भवन निर्मित किये जाने हेतु रु 88.50 लाख का प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार से धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु, शासन द्वारा उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस प्रकार के कम धनराशि के कार्यों को विश्वविद्यालय के स्रोतों/बचतों से कराया जाना उचित होगा। विश्वविद्यालय में वर्तमान कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं से से तुलनात्मक दृष्टि से गुणवत्ता, समयबद्धता व एम०बी० इत्यादि प्रस्तुत कर लेखा समायोजन की स्थिति के आधार पर प्रश्नगत कार्य राज्य सरकार की कार्यदायी संस्था यू०पी० आर०एन०एस०एस० से कराया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत डी०पी०आर० तैयार कर विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त करने के उपरांत सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् अनुबन्ध कर राज्य सरकार के अध्यतन नियमों/शासनादेशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण कर समयान्तर्गत कार्य सम्पादित कराया जाने एवं समायोजन/भुगतान सयुक्त मापी के आधार पर किये जाने तथा इस प्रकार सम्पूर्ण भुगतान के लेखा समायोजन पश्चात् विधिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के प्रावधान सहित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त आगणन/प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 7.13 सड़कों के चौड़ीकरण एवं रख-रखाव तथा पाठ्वे के निर्माण के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर 14.5 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिनमें से अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत आवश्यक है। कुछ सड़कों पर मात्र टॉप कोट (25 एम० एस० डी० बी० सी० से) कराया जाना है। गेट न० १ से ओवरहेड टैंक चौराहे तक व मालवीय जी की मूर्ति से मालवीय शिक्षा निकेतन तक की सड़कों की चौड़ाई वर्तमान में कमशः लगभग 5.50 मीटर एवं 4.00 मीटर है, जिसे 7.50 मीटर तक चौड़ा करके दोनों ओर पाठ्वे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि इन सड़कों पर अपेक्षाकृत अधिक ट्रैफिक (Vehicular & Pedestrian) है। यह कार्य विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों/बचतों से (रु० 250 लाख की सीमा तक) उ० प्र० लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत डी० पी० आर० तैयार कर विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त करने के उपरांत सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् अनुबन्ध कर राज्य सरकार के अध्यतन नियमों/शासनादेशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण कर समयान्तर्गत कार्य सम्पादित कराया जाने एवं समायोजन/भुगतान सयुक्त मापी के आधार पर किये जाने तथा इस प्रकार सम्पूर्ण भुगतान के लेखा समायोजन के पश्चात् विधिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के प्रावधान सहित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

न० १ दृष्टि

मद संख्या 7.14 छात्रावासों के आलमारियों के जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पॉच अदद् अति पुराने (लगभग 40 वर्ष पुराने) रमन, सुभाष, विश्वेश्वरैया, टैगोर एवं सरोजनी भवन छात्रावासों के कनरों की छात्र/छात्राओं के निजी प्रयोगार्थ बनी ऑलमारियों जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं। भवन एवं कार्य समिति की पंचम बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 5.08 में समिति द्वारा दिये गये सुझाव "आलमारियों के भीतर लकड़ी से पार्टिशन के स्थान पर मार्बल अथवा कोटा स्टोन के पार्टिशन कराते हुए मरम्मत कराया जाय" के अनुसार छात्रावासों के आलमारियों के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया गया था। परन्तु, शासन द्वारा उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस प्रकार के कम धनराशि के लघु कार्यों को विश्वविद्यालय के स्रोतों/बचतों से कराये जाने के सुझाव दिये गये। वर्तमान दर अनुसूची के आधार पर कार्य की लागत रु0 98.85 लाख आगणित है। इस कार्य को विश्वविद्यालय के निर्माण एवं रख-रखाव अनुभाग द्वारा ई-टेप्डर के माध्यम से कराये जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर इस सुझाव के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि प्रस्तुत आगणन में Contingency को 2.0 % करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर ई-टेप्डर से कार्य कराये जाने की स्थिति में आगणन में से Centage Charge एवं Third Party Quality Control हेतु प्रावधानित धनराशि को घटाते हुए संशोधित आगणन पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कार्य सम्पन्न कराया जाए।

मद संख्या 7.15 मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के निर्माण एवं रख-रखाव अनुभाग के प्रयोगार्थ निर्माण एवं रख-रखाव कार्यों के टेप्डर हेतु राज्य सरकार (उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग) द्वारा अनुमोदित बिड डाक्यूमेन्ट को यथास्थान लघु संशोधनोपरांत विश्वविद्यालय के अनुकूल तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट/टेप्डर डाक्यूमेन्ट के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 7.16 छ: अदद पुरुष छात्रावासों की चहारदीवारी निर्माण के संशोधित प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में छ: अदद पुराने पुरुष छात्रावासों में आवासित छात्रों एवं संसाधनों की सुरक्षा/संरक्षा के दृष्टिगत चहारदीवारी उपलब्ध नहीं हैं। भवन एवं कार्य समिति एवं प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इन छात्रावासों की चहारदीवारी निर्माण कराये जाने हेतु रु0 225.14 लाख का प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु, शासन द्वारा उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस प्रकार के कम धनराशि के लघु कार्यों को विश्वविद्यालय के स्रोतों/बचतों से आवश्यकतानुसार कराये जाने के सुझाव दिये गये। उक्त कार्य विश्वविद्यालय स्रोतों/बचतों से कराये जाने हेतु रु0 245.26 लाख का आगणन वर्तमान प्रभावी दर अनुसूची के आधार पर तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त आगणन/प्रस्ताव पर निजी स्रोतों/बचतों से यथास्थिति धन उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 7.17 फार्मेसी विभाग के भवन के निर्माण के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।


भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से चरणबद्ध रूप से वर्ष वार कुल 18 विभागों तक नये विभाग खोले जाने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/पाठ्यक्रम बढ़ाने की कार्ययोजना पर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक: 14.03.2014 को सम्पन्न प्रथम बैठक में मद संख्या प्रथम -22 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके अन्तर्गत फार्मेसी विभाग खोले जाने का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया था। विश्वविद्यालय के परिनियम- 2015 की धारा 26 (3) के अन्तर्गत फार्मेसी विभाग के निर्माण हेतु रु0 995.00 लाख का प्रारम्भिक प्रस्ताव/आगणन राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु, शासन की उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों /बचतों से कराये जाने के सुझाव दिये गये। अतः चरणबद्ध ढंग से तीन वर्षों में उपरोक्त निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों/बचतों से कराये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन/प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त आगणन/प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 7.18 रमन एवं सुभाष भवन के विस्तार/निर्माण कार्य में वार्ड रोब के अतिरिक्त कार्य के अनुमोदन का प्रस्ताव

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि रमन एवं सुभाष भवन छात्रावास के विस्तार/निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक: 06.11.2015 द्वारा क्रमशः रु0 483.27 लाख व रु0 486.08 लाख की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा उनके पत्र दिनांक: 22.05.2019 के नाध्यम से सूचित किया गया है कि उक्त छात्रावासों का निर्माण कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण करा दिया गया है एवं विस्तृत आगणन में आलमारी का प्रावधान नहीं था, जिससे छात्रावासों में आलमारियों का कार्य नहीं कराया गया है। आगामी सत्र के प्रारम्भ से पूर्व छात्रों के सुविधापूर्ण आवासन हेतु आलमारियों (वार्ड रोब) का निर्माण छात्र हित व विश्वविद्यालय हित में आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के पत्र दिनांक: 22.05.2019 के संलग्नक में प्राप्त आगणन रु0 39.80 लाख का कार्य उसी कार्यदायी संस्था (यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि०) से विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों/बचतों से कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के अद्यतन नियमों/शासनादेशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण कर सम्यान्तर्गत कार्य सम्पादित कराया जाने एवं समायोजन/भुगतान संयुक्त मापी के आधार पर किये जाने तथा इस प्रकार सम्पूर्ण भुगतान के लेखा समायोजन पश्चात् विधिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर इस प्रतिबन्ध सहित अनुमोदन प्रदान किया गया कि आगणन का सम्यक पुनरीक्षण करा लिया जाय एवं पार्टिशन, पेटिंग, हैंगिंग राड आदि का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए तथा वर्तमान दर अनुसूची में वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान को दृष्टिगत रखतु हुए यथास्थिति प्रस्ताव को संशोधित करा लिया जाए एवं तदोपरांत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाए।





मद संख्या 7.19 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हुई चर्चा में भवन एवं कार्य समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये गए:

01. भवनों के अनुरक्षण एवं भविष्य में विस्तार आदि के कार्यों हेतु प्रत्येक कार्यदायी संस्था से प्रत्येक निर्माण कार्य की Structural Analysis, Design & Drawing (वैटिंग सहित) तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 'As built Drawing' एवं एम० बी० अदृश्य प्राप्त कर लिये जाएं।
02. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर की वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर मास्टर प्लान तैयार करा लिया जाए।
03. विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले निर्माण एवं रख-रखाव कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के ठेकेदारों का Empanelment करा लिया जाए।

बैठक, अन्त में, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई।


24.5.19
(गोविन्द पाण्डेय)
सदस्य-सचिव
भवन एवं कार्य समिति


24.5.19
(श्री निवास सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष
भवन एवं कार्य समिति